



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17062026-273531  
CG-DL-E-17062026-273531

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3057]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 16, 2026/ज्येष्ठ 26, 1948

No. 3057]

NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 16, 2026/JYAISTHA 26, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जून, 2026

का.आ. 3179(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा उक्त की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले में राष्ट्रीय महामार्ग क्र.3 के 440.000 कि.मी. से 470.800 कि.मी. तक के भू-खण्ड (वडपे से गोंदे दुमाला सेक्शन) के निर्माण रेल ओवर ब्रिज (4-लेन का बनाना, बाइपास सहित आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

कोई व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा उक्त की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा:

ऐसा प्रत्येक आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् विशेष भूमि अर्जन अधिकारी (रा.रा.) नासिक को लिखित रूप में किया जाएगा और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी

विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसे आक्षेपों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा:

उक्त अधिनियम की धारा उग की उपधारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा; और

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के भूरेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

### अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले में राष्ट्रीय महामार्ग क्र.3 के 440.000 कि.मी. से 470.800 कि.मी. तक (वडपे से गोंदे दुमाला सेक्शन) के लिए अर्जन की जाने वाली सरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: महाराष्ट्र			जिले का नाम: नासिक		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: इगतपुरी					
गांव का नाम: मुंडेगांव					
1	462 Pt	निजी	शुष्क	0.01 (हेक्टेयर)	0.01
2	477 Pt	सरकारी	शुष्क	0.005 (हेक्टेयर)	0.005
3	478 Pt	निजी	शुष्क	0.04 (हेक्टेयर)	0.04
4	481 Pt	निजी	शुष्क	0.015 (हेक्टेयर)	0.015
गांव का नाम: खंबाले					
5	680 Pt	निजी	शुष्क	0.08 (हेक्टेयर)	0.08
6	683 Pt	निजी	शुष्क	0.04 (हेक्टेयर)	0.04
7	684 Pt	निजी	शुष्क	0.015 (हेक्टेयर)	0.015
8	685 Pt	निजी	शुष्क	0.005 (हेक्टेयर)	0.005
9	686 Pt	निजी	शुष्क	0.04 (हेक्टेयर)	0.04
गांव का नाम: टिटोली					
10	291 Pt	निजी	शुष्क	0.0025 (हेक्टेयर)	0.0025
11	293 Pt	निजी	शुष्क	0.0007 (हेक्टेयर)	0.0007

12	376 Pt	निजी	शुष्क	0.1036 (हेक्टेयर )	0.1036
13	378 Pt	निजी	शुष्क	0.0258 (हेक्टेयर )	0.0258
14	422 Pt	निजी	शुष्क	0.0016 (हेक्टेयर )	0.0016
गांव का नाम: बोरेटेम्बे					
15	1 Pt	निजी	शुष्क	0.1 (हेक्टेयर )	0.1
<b>Total</b>					<b>0.4842</b>

[फा. सं. NHAI/BOT/11019/1/2003/3A]

शेख अमीनखान, निदेशक

**MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS****NOTIFICATION**

New Delhi, the 16th June, 2026

**S.O. 3179(E).**— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for ROB, building (widening/four laning, including by passes etc.) maintenance, management and operation of **National Highway No. 3** in the stretch of land from **Km.440.000 to Km.470.800 (Vadape to Gonde Dumala Section)** in the district of **Nashik** in the state of **Maharashtra**, hereby declares its intention to acquire such land;

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under the section (1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the competent authority namely, **Special Land Acquisition Officer (NH), Nashik**, in writing and shall set out the grounds thereof and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, by orders, either, allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act, shall be final.

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.

**SCHEDULE**

Brief description of the land to be acquired, with or without structures falling within the stretch of land from **Km. 440/000 to Km. 470/800 (Vadape to Gonde Dumala Section)** of **National Highway No.3**, in the State of **Maharashtra**.

<b>State: MAHARASHTRA</b>			<b>District: Nashik</b>		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectares)
1	2	3	4	5	6
<b>Taluk: Igatpuri</b>					
<b>Village: Mundegaon</b>					
1	462 Pt	Private	Dry	0.01 (Hectare )	0.01

2	477 Pt	Government	Dry	0.005 (Hectare )	0.005
3	478 Pt	Private	Dry	0.04 (Hectare )	0.04
4	481 Pt	Private	Dry	0.015 (Hectare )	0.015
<b>Village: Khambale</b>					
5	680 Pt	Private	Dry	0.08 (Hectare )	0.08
6	683 Pt	Private	Dry	0.04 (Hectare )	0.04
7	684 Pt	Private	Dry	0.015 (Hectare )	0.015
8	685 Pt	Private	Dry	0.005 (Hectare )	0.005
9	686 Pt	Private	Dry	0.04 (Hectare )	0.04
<b>Village: Titoli</b>					
10	291 Pt	Private	Dry	0.0025 (Hectare )	0.0025
11	293 Pt	Private	Dry	0.0007 (Hectare )	0.0007
12	376 Pt	Private	Dry	0.1036 (Hectare )	0.1036
13	378 Pt	Private	Dry	0.0258 (Hectare )	0.0258
14	422 Pt	Private	Dry	0.0016 (Hectare )	0.0016
<b>Village: Boretambe</b>					
15	1 Pt	Private	Dry	0.1 (Hectare )	0.1
<b>Total</b>					<b>0.4842</b>

[F. No. NHAI/BOT/11019/1/2003/3A]

SHAIKH AMINKHAN, Director